



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका(सिविल) क्र . 2696/2010

याचिकाकर्ता

मेसर्स रजत इस्पात
प्राइवेट लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

भारत संघ और अन्य

आदेश के लिए विचारार्थ।

सही/-

न्यायाधीश

8-9-2010

माननीय श्री आई. एम. कुट्टुसी, न्यायाधीश

में सहमत हूँ।

सही/-

आई. एम. कुट्टुसी

न्यायाधीश

दिनांक 9-9-2010 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश





प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका(सिविल) क्र. 2696/2010

याचिकाकर्ता

मेसर्स रजत इस्पात
प्राइवेट लिमिटेड

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

भारत संघ और अन्य

युगल पीठ: माननीय श्री आई. एम. कुट्टुसी और माननीय श्री एन. के. अग्रवाल,
न्यायाधीशगण

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए श्री कार्तिक के. कुर्मी के साथ श्री धर्मेश श्रीवास्तव,
अधिवक्तागण।

उत्तरवादीगण के लिए श्री भीष्मा किंगर, अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 9-9-2010)

एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों का दावा करते

हुए दायर की गई हैं: -



- i. न्यायालय इस घोषणा की रिट और/या कोई अन्य उपयुक्त रिट/एकाधिक रिट/आदेश/एकाधिक आदेश, निर्देश/एकाधिक निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/2006-सीई. (एनटी) दिनांक 30-12-2006, जो इस याचिका के अनुलग्नक पी/1 में है, को अवैध घोषित किया जाये तथा विधि के प्राधिकार के बिना होने के कारण उसे निरस्त किया गया जाये।
- ii. न्यायालय इस घोषणा की रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट/आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करने की कृपा करें, जिसमें यह घोषित किया जाये कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गग के साथ-साथ सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 12कक के उपबंध, जो अनुलग्नक पी-2 में हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रति अधिकारातीत हैं।
- iii. न्यायालय इस घोषणा की रिट या कोई अन्य रिट/रिटें जारी करने की कृपा करने की कृपा करें, जो अधिनियम, 1944 की धारा 37, जो अनुलग्नक पी-2 में है, को असंवैधानिक घोषित करती हो क्योंकि यह अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त है।
- iv. न्यायालय उत्तरवादी संख्या 4 द्वारा जारी दिनांक 22-2-2010 का नोटिस, जो अनुलग्नक पी-3 में है, को रद्द और अपास्त करने तथा इसे अमान्य तथा निष्प्रभावी घोषित करने के लिए उपयुक्त रिट/एकाधिक रिट आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें।
- v. न्यायालय अपने अवलोकनार्थ वे सम्पूर्ण अभिलेख, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, को मंगाने हेतु समुचित रिटें/आदेश(शों)/निर्देश(शों) जारी करने की कृपा करें।
- vi. आक्षेपित नोटिस दिनांक 22-2-2010, जो अनुलग्नक पी-3 पर है, के अनुसरण में उत्तरवादियों को कोई कार्रवाई करने से रोकने के





लिए यह न्यायालय उपयुक्त रिट/एकाधिक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें।

vii. यह न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों और न्याय के हित में कोई भी आदेश(ओं), निर्देश(ओं), रिट(एँ) या कोई अन्य अनुतोष या एकाधिक अनुतोष, जो उसे उपयुक्त और उचित प्रतीत हो, जारी करने की कृपा करें।

viii. यह न्यायालय वाद-व्यय सहित इस रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें।

2. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है और प्लॉट

नंबर 175-एच, ओपी जिंदल औद्योगिक पार्क, थाना पुंजिपतरा, पीएस

पुंजिपतरा, जिला रायगढ़ में स्थित अपने कारखाने में माइल्ड स्टील

इनगोट्स (एमएस इनगोट्स) के निर्माण और बिक्री से संबद्ध है।

याचिकाकर्ता केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन एमएस

इंगोट के निर्माता के रूप में पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण क्रमांक

AACCR9829FXM001 है।

3. केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

(संक्षेप में इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 37 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संख्या 2)

नियम, 2001 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले की गई

या लोप की जाने वाली बातों के सिवाय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002



(संक्षेप में, नियम, 2002) नामक नियम विरचित किया था। इसका नियम

8 (1) याचिकाकर्ता को उत्पाद शुल्क का मासिक भुगतान करने की सुविधा

प्रदान करता है। नियम 8 (1) निम्नानुसार है:-

"नियम 8. संदाय की रीति-(1) किसी माह के दौरान कारखाने या गोदाम से निकाले गए माल पर शुल्क का संदाय आगामी माह की 5 तारीख तक किया जाएगा:

परंतु मार्च माह के दौरान निकाले गए माल की स्थिति में शुल्क का भुगतान मार्च की 31 तारीख तक किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां कोई निर्धारित किसी वित्तीय वर्ष में निकासी के मूल्य पर आधारित अधिसूचना के अंतर्गत छूट का लाभ उठा रहा है, वहां कैलेंडर माह के दौरान निकाले गए माल पर शुल्क का संदाय आगामी माह की 15 तारीख तक किया जाएगा, सिवाय मार्च माह के दौरान निकाले गए माल की स्थिति के जिसके लिए शुल्क का संदाय मार्च की 31 तारीख तक किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) शुल्क देयता तभी समाप्त मानी जाएगी जब संदेय राशि निर्दिष्ट तिथि तक केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी;

(ख) यदि निर्धारित चेक द्वारा शुल्क जमा करता है, तो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट बैंक में चेक प्रस्तुत करने की तारीख वह तारीख मानी जाएगी, जिसको उस चेक की वसूली के अधीन शुल्क का संदाय किया गया है।





4. केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सेनवैट क्रेडिट नियम, 2002 और सेवा कर क्रेडिट नियम, 2002 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने से छूटी हुई बातों को छोड़कर, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 (संक्षेप में, नियम, 2004) बनाया है। सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 3 का उप-नियम 4 याचिकाकर्ता को सेनवैट क्रेडिट संचय का लाभ उठाने की अनुमति देता है। नियम, 2004 के नियम 3 का उप-नियम 4 इस प्रकार है:-

"3(4) सेनवैट क्रेडिट का उपयोग निम्नलिखित के संदाय के लिए किया जा सकता है -

(क) किसी अंतिम उत्पाद पर कोई उत्पाद शुल्क; या

(ख) इनपुट पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि, यदि ऐसे इनपुट को ऐसे ही हटा दिया जाता है या आंशिक रूप से संसाधित होने के बाद; या

(ग) पूंजीगत वस्तुओं पर लिए गए सेनवैट क्रेडिट के बराबर राशि, यदि ऐसी पूंजीगत वस्तुएं उसी रूप में हटा दी जाती हैं; या

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 16 के उपनियम (2) के अधीन राशि; या





(ड) किसी भी उत्पादन सेवा पर सेवा कर:

बशर्ते कि, यथास्थिति, उत्पाद शुल्क या सेवा कर का भुगतान करते समय, सेनवैट क्रेडिट का उपयोग केवल उस सीमा तक किया जाएगा, जहां तक ऐसा क्रेडिट, यथास्थिति, उस माह या तिमाही से संबंधित शुल्क या कर के संदाय के लिए, यथास्थिति, माह या तिमाही के अंतिम दिन उपलब्ध हो:

परंतु यह और कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत छूट प्राप्त करने के बाद अंतिम उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए शुल्क या सेवा कर का सेनवैट क्रेडिट -

(i) सं. 32/99 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999 [जीएसआर 508 (ई), दिनांक 8 जुलाई, 1999] ;

(ii) संख्या 33/99-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 जुलाई, 1999 [जी. एस. आर. 509 (ई), दिनांक 8 जुलाई, 1999];

(iii) सं. 39/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31 जुलाई, 2001 [जी. एस. आर. 565 (ई), दिनांक 31 जुलाई, 2001];

(iv) सं. 56/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवंबर, 2002 [जी. एस. आर. 764 (ई), दिनांक 14 नवंबर, 2002];

(v) सं. 57/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 नवंबर, 2002 [जी. एस. आर. जी. एस. आर. 765(ई.), दिनांक 14 नवंबर, 2002];

(vi) सं. 56/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 25 जून, 2003 [जी. एस. आर. 513 (ई), दिनांक 25 जून, 2003];
और





(vii) सं. 71/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 सितंबर, 2003 [जी. एस. आर. 717 (ई), दिनांक 9 सितंबर, 2003],

क्रमशः केवल अंतिम उत्पादों पर शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके संबंध में उक्त संबंधित अधिसूचनाओं के तहत छूट का लाभ उठाया गया है।

परंतु यह कि वित्त अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 18) की धारा 85 द्वारा यथासंशोधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत संदेय देय अतिरिक्त शुल्क के किसी भी क्रेडिट का उपयोग किसी भी आउटपुट/निर्गत सेवा पर सेवा कर के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि वित्त अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 18) की धारा 85 के अंतर्गत संदेय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के क्रेडिट के अलावा उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी भी शुल्क के सेनवैट क्रेडिट का उपयोग अंतिम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के उक्त अतिरिक्त शुल्क के संदाय के लिए नहीं किया जाएगा:

5. अधिसूचना संख्या 30/2006-सी. ई. (एन. टी.) दिनांक 30-12-2006 के माध्यम से, केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में संशोधन किया और इसमें नियम 12(गग) अंतःस्थापित किया, जो निम्नानुसार है: -

“नियम 12गग-कतिपय मामलों में निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार, शुल्क की चोरी की सीमा, अपराधों की प्रकृति और प्रकार या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रासंगिक हो सकते हैं, यह राय रखती है कि उत्पाद शुल्क की चोरी और संदाय के व्यतिक्रम को रोकने के लिए, लोक हित में निर्माता, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के डीलर या



निर्यातक पर प्रतिबंधों सहित कुछ उपायों के लिए उपबंध करना आवश्यक है, वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा डीलर के मामले में पंजीकरण के निलंबन सहित प्रतिबंधों की प्रकृति, वापस ली जाने वाली सुविधाओं के प्रकार और बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकती है।

6. इसी प्रकार, अधिसूचना संख्या 31/2006-सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 के द्वारा, केन्द्र सरकार ने नियम, 2004 में संशोधन करके नियम 12कक को अंतःस्थापित किया था जो निम्नानुसार है:-

“नियम 12 कक- कतिपय प्रकार के मामलों में प्रतिबंध लगाने की शक्ति: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार, सेनवैट क्रेडिट के दुरुपयोग की सीमा, ऐसे दुरुपयोग की प्रकृति और प्रकार तथा ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रासंगिक हो सकते हैं, यह मानती है कि इन नियमों में निर्दिष्ट सेनवैट क्रेडिट के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जनहित में विनिर्माता, प्रथम चरण और द्वितीय चरण के डीलर या निर्यातक पर प्रतिबंध सहित कुछ उपाय प्रदान करना आवश्यक है, वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधों की प्रकृति, जिसमें सेनवैट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध और डीलर के मामले में पंजीकरण का निलंबन और वापस ली जाने वाली सुविधाओं का प्रकार तथा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जारी करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकती है।”

7. नियम 12गग, 2002 के तहत केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत शुल्क के अपवंचन की सीमा, अपराध



की प्रकृति और प्रकार या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो उत्पाद शुल्क के अपवंचन, संदाय में व्यतिक्रम आदि को रोकने के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों पर विशिष्ट प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

8. नियम 12 कक, 2004 के तहत केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है जिसके तहत सेनवैट क्रेडिट के दुरुपयोग की सीमा, ऐसे दुरुपयोग की प्रकृति और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों पर विशिष्ट प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो सेनवैट क्रेडिट के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, जिसमें सेनवैट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध और डीलर के मामले में पंजीकरण का निलंबन और प्रत्याहृत की जाने वाली सुविधाओं का प्रकार और बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की प्रक्रिया अंतर्विष्ट है।

9. केंद्र सरकार ने नियम, 2004 के नियम 12 कक और नियम, 2002 के नियम 12गग के माध्यम से उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक संक्षिप्त योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की जो ऐसे व्यक्तियों से



सुविधाओं को प्रत्याहृत कर चोरी करने वालों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करती है।

10. वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 68 के अंतर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 (2) को संशोधित किया गया और खंड (xiiia) जोड़ा गया जो इस प्रकार है: -

"(xiiia) शुल्क की चोरी या सेनवैट क्रेडिट के दुरुपयोग से निपटने के लिए निर्माता या निर्यातक पर सुविधाओं को प्रत्याहृत करने या प्रतिबंधों (सेनवैट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध सहित) लगाने या डीलर के पंजीकरण को निलंबित करने का उपबंध करता है।"

11. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर/ उत्तरवादी क्रमांक 3 ने याचिकाकर्ता को 2005-06 से 2009-10 (सितंबर 2009 तक) की अवधि के दौरान 46,72,21,041 / - रुपये के मूल्य के 23,659.000 मीट्रिक टन एमएस इनगट्स के गुप्त निर्माण करने और खपाने में लिस पाने के बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11क के अंतर्गत क्रमांक सी.सं. IV (6) INV / CA - 12 / 2007 / पी / 614 क्रमांकित कारण बताओ नोटिस दिनांक 29-1-2010 जारी किया, जिसमें उससे 6,88,53,024 / - रुपये के उत्पाद शुल्क की मांग की गई थी (13,42,108 / - रुपये के शिक्षा उपकर और 4,05,492 / - रुपये के माध्यमिक और उच्च शिक्षा



उपकर सहित) । याचिकाकर्ता ने पहले ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था और यह मामला उत्तरवादी संख्या 3 के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है और यह वर्तमान याचिका में इसे चुनौती नहीं दी गई है।

12. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल के कार्यालय ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गग सहपठित अधिसूचना संख्या 32/2006 सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 की कंडिका 4 के संदर्भ में याचिकाकर्ता को कारण बताओं नोटिस जारी किया,

जो निम्नानुसार है: -

“कृपया आयुक्त, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस एफ. नं. IV (6) इन्व / 12 / सीए / 2007 / पी / 614-21 दिनांक 29-1-2010 का संदर्भ लें, जिसमें एमएस इनगॉट्स के उत्पादन की जानकारी को दबाने और उसे गुप्त रूप से खपाने का आरोप लगाया गया है।

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12गग के तहत जारी अधिसूचना संख्या 32/2006-सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 के संदर्भ में आपके विरुद्ध निवारक कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

3. इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 गग के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 32/2006-सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 की कंडिका 4 (2) में यथा





उपबंधित अनुसार आपको मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, 48, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल; 462 011 (एमपी) स्थित कार्यालय में प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल के समक्ष दिनांक 05-03-2010 को प्रातः 11.00 बजे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

4. यदि आपके द्वारा कोई अभ्यावेदन/प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता है या आप निर्धारित तिथि और समय पर मुख्य आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो इस विवादक का निर्णय बिना कोई और अवसर दिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

13. याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-3) जारी करने पर

निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति जताई है: -

i. अधिनियम की धारा 37 के तहत दिनांक 30-12-2006 को केंद्र सरकार के पास नियम 12गग, 2002 और नियम 12कक, 2004 जैसे नियम बनाने की शक्ति कभी नहीं थी। उपर्युक्त शक्ति केवल वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 68 के तहत केन्द्र सरकार में निहित थी जब अधिनियम की धारा 37 (2) को संशोधित किया गया था और खंड (xiiia) अंतःस्थापित किया गया था। इसलिए, नियम 2002 के नियम 12गग और नियम 2004 के नियम 12कक के विरचन के दिन और धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 32/2006-सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 जारी करने के दिन, विधानमंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार में ऐसे नियम बनाने और आक्षेपित अधिसूचना जारी करने की शक्ति निहित नहीं की गई थी।



इसलिए यह विधिक प्राधिकार से रहित, अवैध, अधिकारहीन था और निरस्त किये जाने योग्य था।

ii. धारा 37 (1) के तहत, केंद्र सरकार अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए नियम विरचित कर सकती है और धारा 37 की उप-धारा (2) के खंडों के तहत निर्दिष्ट कुछ नियम बना सकती है। उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार को नियम 12गग/नियम 12कक जैसे नियम बनाने का अधिकार नहीं है। धारा 37 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार नियम, 2002 के नियम 8 (1) और नियम, 2004 के नियम 3 (4) के तहत निर्धारिती के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले नियम नहीं बना सकती है, जो शास्ति और दंड की प्रकृति में हैं और जो स्थायी प्रकृति का प्रभाव डालते हैं, जिससे निर्दिष्ट अवधि के लिए सेनवैट क्रेडिट की सुविधा को जब्त करने के कारण कार्यशील पूंजी में कमी के कारण निर्धारिती का पूरा परिचालन अत्यवहारिक हो जाता है और इस तरह कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर बढ़े हुए ब्याज का भार पड़ता है। यदि निर्धारिती अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में सफल नहीं होता है, तो उसका पूरा परिचालन निर्दिष्ट अवधि के लिए रुक जाएगा, जिससे सैकड़ों श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होगी और राजकोष और हितधारक पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निर्धारिती द्वारा अर्जित सेनवैट क्रेडिट नकदी के अलावा कुछ नहीं है और इसलिए, यह फर्म की कार्यशील पूंजी है, जिसके उपयोग को आक्षेपित अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित करने की मांग की गई है, जिससे संपूर्ण परिचालन अत्यवहारिक हो गया है और याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

iii. अधिनियम की धारा 37 की धारा (1) के तहत शक्ति का प्रत्यायोजन बिना किसी दिशानिर्देश के सामान्य प्रत्यायोजन है। ऐसे सामान्य प्रत्यायोजन के आधार पर, नियम बनाने की





शक्ति का प्रयोग निहित / मौलिक / उपार्जित अधिकारों को प्रभावित करने, अक्षमताएं उत्पन्न करने, अयोग्यताएं उत्पन्न करने, दायित्व उत्पन्न करने, शास्ति लगाने और दंड देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

iv. यदि तर्क के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि नियम 2004 का नियम 12गग और नियम 2002 का नियम 12कक तथा आक्षेपित अधिसूचना संख्या 32/2006-सीई (एनटी) धारा 37(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैध रूप से तैयार/जारी की गई है, जो अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सामान्य शक्ति प्रदान करती है, तब भी उक्त प्रावधान निरस्त किए जाने योग्य है तथा उसे अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह अधिनियम की विधायी नीति और योजना के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, धारा 37 (1) के अंतर्गत व्यापक, अस्पष्ट और निरंकुश प्रत्यायोजन असंवैधानिक है क्योंकि यह विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के दोष से ग्रस्त है क्योंकि विधानमंडल ने अपने आवश्यक कार्यों को केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया है और उन कार्यों का त्याग कर दिया है क्योंकि उक्त नियमों/अधिसूचनाओं में निर्धारिती पर दंड और शास्ति लगाने का प्रावधान है जो विधानमंडल के आवश्यक कार्य हैं और इन्हें केन्द्रीय सरकार को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

v. आक्षेपित नोटिस (अनुलग्नक पी-3) दिनांक 22-2-2010 अधिसूचना संख्या 32/2006- "सीई (एनटी) की कंडिका 4 (2) के तहत अनुध्यात बिल्कुल भी अपेक्षित नोटिस नहीं है क्योंकि यह उपरोक्त अधिसूचना के तहत उठाए जाने वाले प्रस्तावित आधारों को उजागर नहीं करता है और इसलिए विहित प्रक्रिया के विपरीत है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है और अभिखंडित किये जाने योग्य है।





14. दूसरी ओर, राजस्व विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को भारी मात्रा में एमएस सिल्लियों के गुप्त निर्माण और खपाने में लिप्त पाया गया है। याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 11-क के तहत कारण बताओ नोटिस दिनांक 29-1-2010 जारी किया गया था जिसमें ₹6,88,53,024/- के उत्पाद शुल्क की मांग की गई थी (अनुलग्नक पी-4)। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रायपुर याचिकाकर्ता के जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता को अधिसूचना संख्या 32/2006-सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 (अनुलग्नक पी-1) का अवलंब लेते हुए एक प्रस्ताव भेजा। परिणामस्वरूप, मुख्य आयुक्त के कार्यालय से कारण बताने के लिए एक नोटिस दिनांक 22-2-2010 (अनुलग्नक पी-3) जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन अभी भी प्रतीक्षित है। याचिका अपरिपक्व है और और अधिसूचना संख्या 32/2006- सीई (एनटी) दिनांक 30-12-2006 के खंड 4 (3) सहपठित अधिसूचना संख्या 1/2007- सीई (एनटी) दिनांक 19-1-2007 के खंड (2) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा किसी भी प्रतिबंध आदेश पारित किए जाने से पहले प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता को अपवंचन के आरोप से स्वयं को पूरी तरह से बचा रहा है। अधिसूचना अनुलग्नक पी-1 केवल को अपवंचन करने





वालों के विरुद्ध है और इसका उपयोग केवल उन्हीं के विरुद्ध किया जाता है। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति व्याख्यात्मक है, संपूर्ण नहीं है और यह अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1), जो अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए है, के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है और धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए आक्षेपित नियम/अधिसूचना पूर्णतः वैध हैं।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

16. अधिनियम की धारा 37 (1) केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। उत्पाद शुल्क का मासिक भुगतान करने और सेनवेट क्रेडिट संचय का लाभ उठाने की सुविधा/अधिकार स्वयं अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के तहत दी गई है। उपरोक्त सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम 12 गग/12 कक और आक्षेपित अधिसूचना अनुलग्नक पी-1 जारी किया गया था जिसे अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता।



17. जबकि धारा 37 (1) केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की सामान्य शक्ति प्रदान करती है, उप-धारा 2 विशेष मामलों को निर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं। उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्ति संपूर्ण नहीं है, अपितु यह व्याख्यात्मक है और यह अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार की सामान्य शक्ति को निर्बंधित या प्रभावित नहीं करती है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधान अनिवार्य रूप से उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रह करने से जुड़े थे। वित्तीय कठिनाई विधायिका द्वारा अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिरोपित किये गए कर के विरुद्ध एक वैध बचाव नहीं है।

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आदि विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1989) 3 एससीसी 634 के मामले में कंडिका 37 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "यह सामान्य बात है कि विधान की वास्तविक प्रकृति और स्वरूप का अवधारण विधायिका की शक्ति के प्रश्न के संदर्भ में किया जाना चाहिए। विधायन के परिणाम और प्रभाव विधायी विषय-वस्तु के समान नहीं हैं। यह विधि की





सत्य प्रकृति और चरित्र है, न कि इसके अंतिम आर्थिक परिणाम जो मायने रखते हैं।"

18. अधिनियम की धारा 37 (1) के अंतर्गत विधानमंडल ने केन्द्रीय सरकार को उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित सभी वैध गतिविधियों को अंतर्विष्ट करते हुए नियम बनाने की व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं। शक्ति का वास्तविक स्रोत सामान्य उपबंध है; सूचीबद्ध विशिष्ट शीर्ष केवल उदाहरणात्मक हैं और कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। यदि कोई नियम सामान्य नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत उचित है तो वह वैध है, भले ही वह किसी निर्दिष्ट शीर्षक के अंतर्गत न आता हो।

19. उच्चतम न्यायालय ने **मिनर्वा टॉकीज, बँगलोर विरुद्ध कर्नाटक राज्य (1988) सप्प एससीसी 176** और **के. रामनाथन विरुद्ध तमिलनाडु राज्य और अन्य (1985) 2 एससीसी 116** के प्रकरणों के निर्णय में मूलतः यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि उप-धारा (1) के तहत अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए विधानमंडल द्वारा सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं, तो उप-धारा (2) जो विशेष मामलों को निर्दिष्ट करती है, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकते हैं, संपूर्ण नहीं है, बल्कि यह उदाहरणात्मक है और यह अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने





के लिए नियम बनाने के लिए उप-धारा (1) के तहत सरकार को प्रदत्त सामान्य शक्ति को निर्बंधित या प्रभावित नहीं करती है।

20. **मिनर्वा टॉकीज, बँगलोर विरुद्ध कर्नाटक राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च**

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

“7. अधिनियम की धारा 19 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 19 की उपधारा (2) राज्य सरकार से खंड (क) से (ज) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में नियम बनाने की अपेक्षा करती है। जबकि धारा 19(1) राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की सामान्य शक्ति प्रदान करती है, उप-धारा(2) उन विशेष विषयों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे। उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्ति संपूर्ण नहीं है, अपितु यह उदाहरणात्मक है और यह अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार की सामान्य शक्ति को प्रतिबंधित या प्रभावित नहीं करती है। धारा 19(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति किसी भी नियम को बनाने पर विचार करती है जिसका प्रभाव चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन के विनियमन पर पड़ सकता है। इस प्रकार बनाया गया नियम अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित होना चाहिए। अधिनियम की प्रस्तावना और उपबंधों में सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी के विनियमन का प्रावधान है जो अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है। धारा 19 (1) के तहत विधायिका ने राज्य सरकार को सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी से जुड़ी सभी वैध गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए नियम बनाने के लिए





व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं, जिसमें प्रदर्शन की अवधि, सिनेमा हॉल में प्रवेश, दो शो के बीच का अंतराल जैसे अनुषंगिक मामलों के लिए नियम सम्मिलित हैं, जिसमें शो की संख्या भी सम्मिलित है जो एक दिन में एक अनुज्ञप्तिधारक आयोजित कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की शर्तों और इस तरह के अनुज्ञप्ति द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के अनुसार अनुज्ञप्ति अधीन किसी भी स्थान पर सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के पास फिल्मों की प्रदर्शनी के संबंध में धारा 12 के तहत किसी भी अनुज्ञप्तिधारक या अनुज्ञप्तिधारकों को निर्देश जारी करने की सामान्य शक्ति है। धारा 14 राज्य सरकार को सामान्य प्रकृति के आदेश और निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करती है, जिन्हें वह सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझे। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देश अनुज्ञप्तिधारक के लिए बाध्यकारी हैं। ये निर्देश नियमों या निर्देशों के रूप में हो सकते हैं जो अनुज्ञप्तिधारी को जनहित में शो की संख्या को सीमित करने का निर्देश देते हैं यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है। यह अधिनियम राज्य सरकार को सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी के विनियमन के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है जिसमें सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन के घंटों को विनियमित करने की शक्ति, जनता के लिए बैठने की व्यवस्था और लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आनुषंगिक मामलों से संबंधित कोई भी अन्य संबंधित मामले सम्मिलित हैं। नियम 41-ए जो एक दिन में शो की संख्या को सीमित करता है, चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करता है, तथा अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करता है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत राज्य सरकार की सामान्य शक्ति के लिए





संदर्भित है। नियम 41-ए अधिनियम की धारा 19(2) के खंड (क) और (घ) के लिए आगे संदर्भित है। खंड (क) राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियम बना सके जिसमें निबंधन, शर्तें और निर्बंधन निर्धारित किए जाएं जिनके अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सके। राज्य सरकार शर्तें निर्धारित कर सकती है और निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है, जिसमें फिल्मों के प्रदर्शन के घंटे और लाइसेंस प्राप्त परिसर में शो की संख्या निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार, खंड (घ) राज्य सरकार को लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलचित्र फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की प्रदर्शनी को विनियमित करने वाला कोई भी नियम-यदि तार्किक रूप से लोक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उपरोक्त प्रावधान के तहत न्यायानुमत होगा। नियम 41-ए अनुज्ञप्ति में एक शर्त जोड़ता है कि फिल्मों की प्रदर्शनी एक दिन में चार शो तक सीमित होगी। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी दिन के सभी 24 घंटों के लिए सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शित करने का अप्रतिबंधित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। इस तरह का दावा स्पष्ट रूप से जनहित के विरुद्ध होगा। सिनेमेटोग्राफ फिल्मों को प्रदर्शित करने का अधिकार आम जनता के हित में अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। नियम 41-ए द्वारा एक दिन में प्रदर्शनों की संख्या को चार तक सीमित करने का निर्बंधन नियामक प्रकृति का है जो स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करता है।





21. के. रामनाथन विरुद्ध तमिलनाडु राज्य और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में

सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 11, 12 और 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित

किया है: -

"11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि दृढ़ता से तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन अनिवार्य रूप से "ऐसे मामलों" के संबंध में होना चाहिए और "ऐसी शर्तों" के अधीन होना चाहिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं। विद्वान अधिवक्ता की ओर से पूरा प्रयास आक्षेपित आदेश के दायरे और परिधि को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) तक सीमित कर दिया जाए जिसमें " विनियमन " शब्द का प्रयोग किया गया है और इसे धारा 3 की उपधारा (1) के दायरे से बाहर कर दिया जाए जिसमें " विनियमन या प्रतिषेध " शब्दों का प्रयोग किया गया है । यह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) को उनके सामान्य परिवेश में समझने का उचित तरीका नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 3 का निर्बंधित अर्थान्वयन अधिनियम की योजना को पूरी तरह से अव्यवहारिक बना देगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस प्रकार के आदेश देने की शक्ति का स्रोत अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) है और उप-धारा (2) केवल उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों के लिए दृष्टान्त प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) "उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के साथ शुरू होती है। यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) कोई नई शक्तियां प्रदान नहीं करती, अपितु यह धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों का उदाहरण मात्र है, तथा इसमें





उन विषयों का उल्लेख नहीं है जिनके संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

12. यह मामला अब अनिर्णीत विषय नहीं है। *संतोष कुमार जैन विरुद्ध राज्य (एआईआर 1951 एससी 201)* के प्रकरण में यह प्रश्न सीधे इस न्यायालय के विचारार्थ उठा था। वहां न्यायालय चीनी और चीनी उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 की विधिमान्यता पर विचार कर रहा था, जो बिहार की तत्कालीन प्रांतीय सरकार द्वारा आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (अ) के अधीन खाद्य पदार्थों के संबंध में आदेश देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर जारी किया गया था। न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के प्रासंगिक कार्यों की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया था:

"यह स्पष्ट है कि धारा 3 की उपधारा (2) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों से अधिक कोई अन्य शक्ति प्रदान नहीं करती है, क्योंकि यह 'इसके अधीन किया गया आदेश' है जो उपधारा (2) में विशिष्ट रूप से प्रगणित विषयों में से किसी एक या अन्य के लिए उपबंध कर सकता है जो केवल निदर्शी हैं, क्योंकि ऐसी गणना 'उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना' है। इस प्रकार उपधारा (1) के दायरे में आने वाली किसी वस्तु की जब्ती दर्शाई गई है, तो केन्द्रीय सरकार या उसके प्रतिनिधि, प्रांतीय सरकार को उपधारा (2) के खंड (अ) में यथा अनुध्यात किसी अन्य आदेश के प्रत्याशित उल्लंघन के अलावा और उसे ध्यान में रखे बिना उस उपधारा के तहत जब्ती का आदेश देने के लिए सक्षम होना चाहिए।



न्यायालय ने इस दृष्टिकोण के लिए सम्राट *विरुद्ध सिब्जनाथ बनर्जी* (एआईआर 1945 पीसी 156) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से इसकी पुष्टि की। उस प्रकरण में संघीय न्यायालय ने भारत रक्षा अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के तहत बनाए गए भारत रक्षा नियमों के नियम 26 को अधिकारातीत माना, जिसे प्रिवी काउंसिल ने उलट दिया था। न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल का निर्णय देते हुए लॉर्ड थैंकर्टन, न्यायाधीश की निम्नलिखित प्रेक्षणाओं को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया:

"न्यायाधिपतियों के अभिमत में, उप-धारा (2) का कार्य केवल एक उदाहरणात्मक कार्य है; नियम बनाने की शक्ति उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त है, और 'नियम', जिनका उल्लेख उपधारा (2) के प्रारंभिक वाक्य में किया गया है, वे नियम हैं जो उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत हैं और उसके अधीन बनाए गए हैं; उप-धारा (2) के प्रावधान उप-धारा (1) के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं हैं, जैसा कि वास्तव में 'उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना' शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है।

यह अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) के आशय और प्रभाव के बारे में हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है।

13. *अतुल्य कुमार डे विरुद्ध खरीद और आपूर्ति निदेशक* (एआईआर 1953 सीईएल 548) में आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3 (1) के अधीन जारी पश्चिम बंगाल खाद्यान्न (गहन खरीद) आदेश 1952 की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी, जो अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर था, जो अधिनियम की धारा 5 के शर्तों के लगभग समान था। न्यायाधीश श्री सिन्हा, (तत्कालीन) ने



अभिनिर्धारित किया था कि उद्ग्रहण आदेश प्रख्यापित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) से प्राप्त की गई थी और यह कि शक्ति सामान्य थी और अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए किसी भी आदेश को प्रख्यापित करने के लिए प्राधिकृत करती थी, जहां तक कि राज्य सरकार को आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने या उचित मूल्यों पर उनके समतुल्य वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो। विद्वान न्यायाधीश ने सिब्जनाथ बनर्जी प्रकरण (पूर्वोक्त) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय और संतोष कुमार जैन प्रकरण (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद निर्धारित किया कि :-

धारा 3 की उप-धारा (2), 'उप-धारा (1) आदि द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना.....' शब्दों से शुरू होती है। यह दर्शाता है कि उप-धारा (2) कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है, अपितु उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों का दृष्टान्त प्रदान करती है।

विद्वान न्यायाधीश ने आगे निर्धारित किया कि :-

"यह निस्संदेह अत्यंत अक्षम प्रारूपण है। परंतु मुझे लगता है कि इसका अर्थ पर्याप्ततः स्पष्ट है। उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषय, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर "प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना", ऐसी शक्तियों को सम्मिलित करने के लिए अभिनिर्धारित किए जाने चाहिए। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य को सामान्य शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं, अपितु केवल वे शक्तियां प्रदान की गई हैं जो उपधारा (2) के खंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट हैं। एकमात्र सीमा



संबंधित आवश्यक वस्तु के प्रकार के संबंध में है। राज्य को केवल 'खाद्य पदार्थों' तक ही सीमित अधिकार दिए गए हैं।

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने *तारकदास मुखर्जी विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य [(1978) 2 कल. एलजे 383 और लीला बिस्वास विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य [(1979) 83 कल/ डब्ल्यूएन 539]* के मामले में अतुल्य कुमार (पूर्वोक्त) के प्रकरण में न्यायमूर्ति सिन्हा के कथन का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार का आक्षेपित आदेश जारी करने के लिए विशिष्ट शक्तियों का प्रत्यायोजन धारा 3 की उपधारा (1) से लिया गया है और उपधारा (2) के उपबंध केवल निदर्शी हैं। इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के विभिन्न खंडों को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सामान्य शक्तियों को प्राप्त किए बिना अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी भी अधिसूचना द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रचालनशील नहीं किया जा सकता है। हमारा सुविचारित अभिमत है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण तर्क और सिद्धांत दोनों के अनुरूप है। पंजाब, इलाहाबाद और उड़ीसा उच्च न्यायालयों द्वारा *सुजान सिंह (ए. आई. आर. 1968 पीयूएनजे 363)*, *सूरज भान (ए. आई. आर. 1972 एएलएल 401)* और *बेजाँय कुमार राउतराय (ए. आई. आर. 1976 ओआरआई 138)* के मामलों में इसके विपरीत दृष्टिकोण दोषमुक्त विधि नहीं है। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यद्यपि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) का खंड (घ) केवल एक विशिष्ट शक्ति से संबंधित है, आक्षेपित आदेश जारी करने की सामान्य शक्ति धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों से उद्भूत होती है जो अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर राज्य सरकार को प्रत्यायोजित है।





22. उपर्युक्त संदर्भित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, यह सामान्य है कि केवल इसलिए कि वित्तीय विधेयक, 2010 का खंड 67 अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) में एक नया खंड (xiiia) अंतःस्थापित करने का प्रयास करता है ताकि केंद्र सरकार को शुल्क की चोरी या सेनवैट क्रेडिट के दुरुपयोग से निपटने के लिए निर्माता या निर्यातक पर सुविधाओं को वापस लेने या प्रतिबंधों (सेनवैट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंधों सहित) या डीलर के पंजीकरण को निलंबित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया जा सके। यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त प्रविष्टि अधिनियम की धारा 37(1) के अंतर्गत सरकार को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त है। विशिष्ट खंड उप-धारा (2) के इस तरह के अंतःस्थापन को केवल व्याख्यात्मक कहा जा सकता है और संपूर्ण नहीं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विरचित नियमों के अंतर्गत सेनवैट क्रेडिट और उत्पाद शुल्क के मासिक संदाय की सुविधा को विस्तारित किया गया है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के अंतर्गत, जिसके अधीन कोई भी केंद्रीय अधिनियम या विनियम, अधिसूचना, आदेश, नियम या



उपविधि जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तब उस शक्ति में एक शक्ति अंतर्विष्ट होती है, जो इसी रीति और उसी तरह की स्वीकृति और शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुए इस प्रकार जारी की गई किसी अधिसूचना, आदेश, नियम या उपविधि को जोड़ने, संशोधित करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति है।

23. क्या एक निर्दिष्ट उदाहरणात्मक शीर्ष सामान्य शक्ति के दायरे का विस्तार कर सकता है? यह रुचिकर प्रश्न **कुमारी रेजिना विरुद्ध सेंट एलॉयसियस**

हायर एलिमेंट्री स्कूल और अन्य (1972) 4 एससीसी 188 के मामले में

उच्चतम न्यायालय के समक्ष उद्भूत हुआ था। उपर्युक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि का निहितार्थ यह है कि विशिष्ट शीर्ष

सामान्य शक्ति के दायरे को तब तक विस्तृत नहीं कर सकता जब तक कि

विशिष्ट निदर्शी शीर्ष के अंतर्गत बनाए गए नियम को सामान्य शक्ति में

निहित समग्र शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात् अधिनियम के प्रयोजन को

पूरा करना होगा। इसलिए यह तर्क कि केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की

धारा 37 की उपधारा (2) में विशिष्ट खंड (xiiia) के अंतःस्थापन के बाद ही

नियम 12गग और 12कक बनाने की शक्ति प्राप्त हुई थी, आधारहीन है और

विधिक दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।





24. नियम 12 गग की संवैधानिक विधिमान्यता और अधिसूचना अनुलग्नक पी-

1 को गुजरात उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष दरियाल

केमिकल्स विरुद्ध भारत संघ 2009 (234) ई. एल. टी. 208 (गुजरात) के

प्रकरण में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त नियम और

अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत हैं क्योंकि

(i) अधिसूचना द्वारा परिकल्पित योजना का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध

नहीं है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है (ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों

का पूर्ण उल्लंघन है; (iii) निर्धारिती को सेनवैट क्रेडिट का उपयोग करने के

उसके वैध अधिकार से वंचित करता है। गुजरात उच्च न्यायालय की खंड

न्यायपीठ ने उपरोक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और अभिनिर्धारित किया

कि नियम, 2002 का नियम 12 गग केंद्र सरकार को एक अधिसूचना जारी

करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत शुल्क के अपवंचन, प्रकृति

और अपराध के प्रकार या ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट

श्रेणी के व्यक्तियों पर विशिष्ट निर्बंधन अधिरोपित किये जा सकते हैं जो इस

तरह के अपवंचन, उत्पाद शुल्क के संदाय के व्यतिक्रम आदि को रोकने के

लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना

संख्या 32 वर्ष 2006 - सी.ई. (एन.टी.) दिनांक 30-12-2006 जारी किया





गया है। अधिसूचना में एक संक्षिप्त योजना का प्रावधान है जो ऐसे व्यक्तियों से सुविधाओं को वापस लेकर कर अपवंचकों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करती है। नियम और अधिसूचना उन विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के लिए तैयार की गई है जिनका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उचित संबंध है और यह बात तब स्पष्ट हो जाती है जब अधिसूचना की कंडिका 3 पर विचार किया जाता है जिसमें मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई है कि किस वर्ग के मामलों में अधिसूचना लागू होगी। हम उपरोक्त विधिक प्रतिपादन से सम्मानजनक रूप से सहमत हैं।

25. जहां तक दिनांक 22-2-2010 की आक्षेपित अधिसूचना (अनुलग्नक पी-3) को चुनौती देने का संबंध है, उपरोक्त नोटिस को चुनौती देना अपरिपक्व है।

जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के रील इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड विरुद्ध सीबीई एंड सी के सदस्य 2010 (255) ईएलटी 43 (एमएडी) मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देकर उठाए गए आधारों का प्रश्न है, वह भी गुणदोष से रहित है। याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त नोटिस का जवाब दाखिल किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ता अपने उत्तर में सभी आधारों/आपत्तियों को उठाने के लिए स्वतंत्र है और याचिकाकर्ता को सुनने



के बाद अधिसूचना की योजना के अनुसार, याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार करते हुए समुचित आदेश पारित किए जा सकते हैं।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें याचिका में कोई सार नहीं मिलता है।

याचिका सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

27. कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्व में पारित अंतरिम आदेश रद्द हो गया है।

28. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-
आई. एम. कुहुसी
न्यायाधीश

सही/-
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।